



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील सं. 37/23 वंदना पारीक / प्रेमचंद वर्मा

अहम
हुकम को
में जारी

२२/५/२५

वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी., प्रा.पत्र धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु पेश हुई है। दौराने बहस वकील अपीलांटस का सर्वप्रथम प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी. पर कथन रहा कि अपील विषयक भूमि ख.सं. 40, 55, 56, 59 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाकेग्राम छत्रपुरा के खातेदार अपीलांटस के पूर्व लालपतराय दत्ता थे। उनके द्वारा अपील विषयक भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया। इस बाबत कोई बेचाननामा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद तथाकथित असत्य बेचान के आधार पर नामान्तरण पर नामान्तरण खोले गये, जो अवैध है। अपीलांटस मूल खातेदार के उत्तराधिकारी है तथा वर्तमान में उक्त भूमि के मालिक है, जो अपीलाधीन नामान्तरण से पीड़ित पक्षकार है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलांटस को नहीं सुना गया। इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलांटस को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

तत्पश्चात वकील अपीलांटस द्वारा रेस्पों. के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.के जवाब में बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण खातेदार लाजपतराय दत्ता के स्थान पर कान्हा माली एवं तीखीलाल के पक्ष में खोला गया है, खातेदार लाजपतराय दत्ता के उत्तराधिकारी अपीलांटस है जो पीड़ित पक्षकार है। इस कारण उनको उक्त नामा0 के विरुद्ध अपील पेश करने का पूरा अधिकार है इस हेतु अपीलांटस को अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में वकील अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस लम्बे समय से बाहर रहते हैं। कुछ दिनों से गौरव गोयल से अपीलांटस का सम्पर्क हुआ था तब उसको बताया था कि ग्राम छत्रपुरा में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि हमारी है। जिसकी जानकारी करने पर गौरव गोयल द्वारा दिनांक 28.06.23 को अपीलांटस को बताया कि आपके नाम कोई भूमि नहीं है। इसके बाद सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी कर दिनांक 04.7.23 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल दिनांक 06.7.23 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त आदेश

जिला कलकत्ता, नूदो

नम्बर
अहकाम
हुकम की त
में जारी हु

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं. 37/23, कंदना पारीक / प्रेमचंद क

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अवैध है, अवैध आदेश की कोई मियाद नहीं होती है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में लगी देरी को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा आरआरडी 1991 पेज 218, आरआरडी 2004 पेज 261, आरआरडी 2005 पेज 399,627, आरआरडी 2009 पेज 195 एवं आरआरडी 1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुए प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 15 द्वारा सर्वप्रथम प्रा0पत्र धारा 151 जा.दी. पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा जिस नामान्तरण के विरुद्ध यह अपील पेश की है वह नामा. रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर क्रेता कान्हा माली व तीखीलाल माली के पक्ष में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण में न तो अपीलांटस और न ही अपीलांटस के पिता पक्षकार थे और न ही उक्त नामान्तरण से अपीलांटस को कोई लेना देना है। अपीलांटस द्वारा अपील में यह भी अंकित नहीं किया कि वे उक्त नामान्तरण से किस प्रकार से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। बिना धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई अपील विधि अनुसार पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 15 द्वारा अपीलांटस के प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी. पर आपत्ति प्रकट करते हुये कथन किया कि अपील प्रस्तुती के समय अपीलांटस ने न तो धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया था और न ही इस बाबत अपील में वर्णन किया गया, इसलिए अपीलांटस को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश किये गये धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में इस बाबत आपत्ति प्रकट किये जाने के बाद अपीलांटस द्वारा जवाब में धारा 96 जा.दी. का प्रा.पत्र पेश किया है जो अब इस स्टेज पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांटस खारिज की जावे। वैसे भी अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह साबित नहीं किया गया कि वे अपीलाधीन नामान्तरण से किस कारण से एवं किस प्रकार से व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर अपीलांटस की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

जिला क्लर्क, बुन्देलखण्ड

तारीख
हुक्म



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आपिस सं. 37/23

वेदना पारीक/ प्रेमचंद बंसो.

अन्त में अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपीलांटस के प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति प्रकट करते हुये कथन किया कि नामा.सं. 152 की अपीलांटस व उनके पिता अशोक दत्ता को शुरू से जानकारी रही है, इसके बावजूद भी अशोक दत्ता ने अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरण को कभी चैलेंज नहीं किया। अशोक दत्ता द्वारा उक्त नामा.सं. 152 व 153 को निरस्त किये जाने हेतु अजय गोयल के मार्फत दिनांक 09.09.15 को तहसीलदार बून्दी के यहां तथा दिनांक 11.09.15 को उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रा.पत्र पेश किये थे जिस पर तहसीलदार बून्दी द्वारा जांच की गई थी। अपीलांटस के पिता अशोक दत्ता, गौरव गोयल के पिता अजय गोयल के मार्फत विगत 10-15 वर्षों से कार्यवाहिया न्यायालयों में लड़ रहे थे। जिसकी पूरी जानकारी अशोक दत्ता के अधिकृत व्यक्ति अजय गोयल के पुत्र गौरव गोयल को रही है। दिनांक 28.06.23 से पहले ही जानकारी होने के बावजूद अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण के विरुद्ध नियत अवधि व मियाद में अपील पेश नहीं की गई। अब 46 वर्ष के बाद तथ्य छुपाकर पेश की गई अपील गंभीर मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी., प्रा.पत्र धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरण सं. 152 दिनांक 24.04.1977 वाकेग्राम छत्रपुरा बयनामा जर्ने रजिस्ट्री दिनांक 16.06.1951 सब रजिस्ट्रार बून्दी खातेदार लाजपत राय दत्त के स्थान पर कान्हा वल्द गोपी व तिखीलाल वल्द नन्दा कौम माली के नाम दर्ज किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांटस द्वारा यह अपील सं. 37/2023 दिनांक 11.07.2023 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलांटस पक्षकार नहीं रहे है ऐसे में अपीलांटस को अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, किन्तु अपील के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया और न ही अपील में पीड़ित पक्षकार होने के संबंध में कोई तथ्य अंकित किये गये। रेस्पों. की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में इस पर आपत्ति प्रकट किये जाने के बाद अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी.पेश किया गया है। अपील में अंकित पीढ़ीवृक्ष के आधार पर अपीलांटस को प्रथमदृष्टया

जिला कलेक्टर; बून्दी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जिला कठकटर
अपील सं. 37/23
वंदना पारीक / प्रेमचंद वर्मा



हितबद्ध पक्षकार मानते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाता है।

जहां तक अपीलांटस के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 152 दिनांक 24.04.1977 को तस्दीक किया गया था। यह नामां खातेदार लाजपतराय दत्त द्वारा कान्हा वल्द गोपी व तिखीलाल वल्द नन्दा माली को किये गये बेचान दिनांक 16.06.1951 के आधार पर तस्दीक किया गया है। तत्पश्चात खातेदार कान्हा व तिखीलाल द्वारा उक्त आराजी भंवरलाल वल्द बिहारीलाल माली को बेचान कर दी गई, जिसका नामान्तरकरण सं.153 दिनांक 24.04.1977 तस्दीक किया गया। तदोपरान्त क्रेता भंवरलाल माली के देहान्त के बाद उक्त आराजी उसके वारिसान के पक्ष में दर्ज रेकार्ड की गई। इस प्रकार उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड बेचान एवं विरासत के आधार पर परिवर्तित होता रहा है, इसके बावजूद भी अपीलांटस द्वारा उक्त कृषि भूमि के कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड की कोई जानकारी दिनांक 28.06.23 से पूर्व नहीं होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है जो विश्वसनीय नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस बेचानपत्र के आधार पर दर्ज हुआ है, अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई बेचानपत्र अस्तित्व में नहीं होना बताया है। अपीलांटस द्वारा अपील में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत उक्त दिनांक 16.06.1951 को कान्हा व तिखीलाल के पक्ष में कोई रजिस्ट्री निष्पादित नहीं हुई थी। उक्त तथ्य का परीक्षण नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी के बेचान के संबंध में विस्तृत साक्ष्य एवं शहादत ली जाकर नियमित राजस्व वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही किया जाना संभव है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा अपील विषयक कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की 46 वर्षों तक जानकारी नहीं करने का कोई संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित नहीं किया है। जबकि उक्त गंभीर विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु

जिला कठकटर, बुन्दी



07/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं. 37/23 वंदना पारीक / प्रेमचंद कौर

संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया जाना आवश्यक है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है तथा अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबीदा रेकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, बुन्दी